



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272554
CG-DL-E-14052026-272554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2305]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2305]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2397(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेवैल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को "प्रवर्ग 'क' खोज अभिकरण" के अधीन अधिसूचित करती है, जो भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्यांक एम. VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वक्षण संक्रिया करेगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसकी समाप्ति तक या प्रदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2397(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies M/s ReVal Consulting Private Limited under “Category ‘A’ Exploration Agency”, which shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified as per the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India, Ministry of Mines, *vide* order number M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall remain in force for a period of five years from the date of such notification or till the expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.